UPAZ010057482026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, आजमगढ़

उपस्थित–अजय श्रीवास्तव (एच०जे०एस०)

J.O.Code U.P. 2403

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2518/2026

1. प्रिन्स यादव उर्फ विशाल उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र अरविन्द यादव

2. शुभम श्रीवास्तव आयु लगभग 29 साल पुत्र सन्तोष श्रीवास्तव

साकिन डण्डवल, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

3. निखिल गौड़ आयु लगभग 24 साल पुत्र सन्तोष गौड़ साकिन व थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

4. सूरज कश्यप आयु लगभग 24 साल पुत्र प्रहलाद साकिन दक्षिण का पूरा मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ .....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० सरकार .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं०–50/2026
धारा– 352, 351(3), 109(1), 3(5) BNS
थाना–मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़

दिनाँक–10.07.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त के मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदकगण द्वारा स्वयं का शपथ पत्र दाखिल कर सशपथ कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्य उसकी जानकारी में सही व सच है न तो कोई बात झूठी है और न ही कोई बात छिपायी गयी है।

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2026.07.10 14:21:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा सचिन यादव ने स्थानीय थाने पर इस आशय की तहरीर दी है कि दिनांक 28.05.2026 को प्रार्थी कस्बा मेंहनाजपुर में सब्जी लेने आया था कि समय करीब 10.20 बजे प्रातः गुप्ता साईकिल स्टोर के सामने विपक्षीगण 1– प्रिन्स यादव पूत्र अरविन्द यादव ग्राम डण्डवल थाना मेंहनाजपुर 2–शुभम श्रीवास्तव पुत्र सन्तोष श्रीवास्तव ग्राम डण्डवल 3–निखिल गौड़ पूत्र संतोष गौड़ ग्राम मेंहनाजपूर थाना मेंहनाजपूर 4– सूरज कश्यप पुत्र अज्ञात ग्राम दक्षिण का पूरा (मेंहनाजपुर) थाना मेंहनाजपुर व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसे गाली गुप्ता दिया जाने लगा। जब उसके द्वारा गाली देने से मना किया गया तो उपरोक्त सभी लोग लाठी–डण्डा व लोहे की राड से प्रार्थी को जान मारने की नियत से प्रार्थी के सिर पर मारा। जिससे प्रार्थी का सिर फट गया। प्रार्थी के सिर में गम्भीर चोट होने के कारण प्रार्थी गिरकर झटपटाने लगा। उपरोक्त सभी विपक्षी लोग बुरी तरीके से मारने लगे तो कुछ राहगीर बीच– बचाव किए। सभी विपक्षी प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत पर बल देते हुये तर्क दिया गया है कि सबूत के मुताबिक दिनांक 28.05.2026 समय करीब 10.20 बजे वादी मुकदमा सचिन यादव पुत्र अशोक यादव ग्राम परिसिनिया थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने कस्बा मेंहनाजपुर में सब्जी लेने आया था और गुप्ता सायकिल स्टोर के सामने उपरोक्त प्रार्थीगण अभियुक्तगण जो भिन्न भिन्न गांवो के है व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसे गाली गुप्ता दिया जाने लगा जब वादी मुकदमा गाली देने से मना किया गया तो उपरोक्त सभी लोग लाठी डण्डा व लोहे की राड से जान मारने की नियत से प्रार्थी के सिर पर मारा जिससे वादी मुकदमा का सिर फट गया। प्रार्थी के सिर में गम्भीर चोट होने के कारण गिर कर छटपटाने लगा, कुछ राहगीर बीच बचाव किये। घटना की रिपोर्ट दिनांक 28.05.2026 को समय 20.35 बजे थाना मेंहनाजपुर में दर्ज करायी गयी है। प्रार्थीगण निर्दोष है एवं कोई जुर्म नही किये है। उक्त घटना का कोई मोटिव नही है व आरोपीगण अभियुक्तगण भिन्न–भिन्न गांव के है व वादी मुकदमा भी कस्बा मेहनाजपुर से करीब 10 कि.मी. की दूरी पर घर है। एक समय व एक स्थान पर सभी लोगो का एक साथ उपस्थित होने की कोई सम्भावना भी नही है। सारी कहानी फर्जी व मनगढ़न्त है। उक्त घटना कस्बा मेंहनाजपुर की व 10.20 बजे दिन की बताई जाती है जबकि कस्बा मेंहनाजपुर में ही थाना है व बाजार काफी सकरी व बड़े–बड़े व्यापारियो की दुकान है व करीब–करीब सभी दुकानो पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे है व बाजार में काफी भीड़ भाड़ व करीब हजारो आढ़तियों की भीड़ रहती है। ऐसे में कोई घटना कारित होती तो कोई न कोई गवाह बजार का होता किन्तु इस घटना में कोई स्वतन्त्र जन साक्षी नही है न

किसी ने घटना देखी है। वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा अपनी मोटरसायकिल से बाजार में कही गिर गया है जिससे उसके शरीर व सिर में चोट लगी है। गोलबन्दी के कारण आवेदकगण के विरूद्ध राय मसविरे से अभियुक्त बनाया गया है, जबकि वास्तविकता कुछ भी नही है। घटनास्थल थाना मेंहनाजपुर के कस्बा में स्थित है किन्तु घटना की सूचना करीब 10 घण्टा देर से दर्ज करायी गयी है इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नही है। चोटो को देखने से अन्तर्गत धारा 109(1) बी. एन. एस. का कोई जुर्म नही बनता है और बाकी सभी धाराएं जमानती व जमानत लायक है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदकगण की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इससे जमानत के दुरूपयोग की कोई सम्भावना नही है। आवेदकगण ने कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नही किया है न कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए न्यायालय में कार्यरत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई आधार नहीं है। आवेदकगण पर अभ्यारोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा आवेदकगण का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निराधार है, निरस्त किये जाने योग्य है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित यह अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा वादी मुकदमा की हत्या करने के नियत से लोहे के धारदार राड तथा लाठी डण्डा से प्रहार किया गया। अभियुक्तगण वादी मुकदमा तथा परिवार व अन्य साक्षियों को जान से मार देने की धमकी दे रहे है तथा अशीष यादव अभियुक्त के इशारे से सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर वादी मुकदमा को जान से मार देने तथा उसकी मौसी की लड़की को भी धमकी दे रहे है। अभियुक्तगण का आपराधित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

पत्रावाली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण स्पष्ट रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है और उनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है। आवेदकगण द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। आवेदकगण पर लगे आरोप में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान नही है

तथा प्रकरण में विवेचना अभी शुरूआती दौर पर है। ऐसे में आवेदकगण को इस स्तर पर अग्रिम जमानत दिया जाना न्यायोचित नही है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, मामले के गणुदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रिन्स यादव उर्फ विशाल, शुभम श्रीवास्तव, निखिल गौड़ व सूरज कश्यप की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँक–10.07.2026

(अजय श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़
J.O.Code U P 2403